दिनांक 18.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 385/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना खेरागढ़

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 17.07.2026 को थाना खेरागढ़, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरसीसी मिक्सर प्लांट सिहोर रोड बिलविसगंज भोपाल, मध्य प्रदेश से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भूरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खेरागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेरागढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—भूरा निवासी इस्लामनगर थाना जगनेर, आगरा।

बरामदगी

1—01 हजार रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद देवरिया/थाना लार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.07.2026 को थाना लार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाईपास मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– अभिषेक उर्फ टोनी निवासी निवासी बरडीहा दलपत थाना लार जनपद देवरिया।

जनपद अयोध्या/थाना महराजगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **09 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 18.07.2026 को थाना महराजगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मया बाजार बाईपास में बनगवां मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–सुन्दर 2– अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 09 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सुन्दर के विरूद्ध जनपद अयोध्या, सुलतानपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुन्दर निवासी ग्राम बनगवां थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

2– अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–09 हजार रूपये नगद।

जनपद बरेली/थाना बारादरी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **265 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 17.07.2026 की रात्रि थाना बरादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त राजपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 265 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– राजपाल निवासी ग्राम खण्डिया थाना खजुरिया जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–265 ग्राम अवैध अफीम।

➢ **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 38–38 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 148/149/307/302 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–मिन्टू 2–बृजपाल उर्फ विजयपाल 3–पप्पू उर्फ कुसुम कुमार 4–दुर्विजय सिंह को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 38–38 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/452 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त योगेश कुमार को 22 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/5/8 सीएस एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–आसमोहम्मद उर्फ आशु 2–मुन्शाद 3–अबूजर को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————